नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, नया रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/3866/1–575/स्था./सहा.योज./सीधी भर्ती/एनआरडीए/2015 नया रायपुर, दिनांक 30.06.2017
विज्ञापन क्रमांक 400/JSV

नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी में सहायक योजनाकार एवं सहायक वास्तुकार के पदों पर एक वर्ष की संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन

नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, नया रायपुर के अधीन सहायक योजनाकार एवं सहायक वास्तुकार के पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रक्रिया अनुसार भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों से दिनांक 01.07.2017 से दिनांक 31.07.2017 तक आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

1. उक्त पदों पर नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 591/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।
2. नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, नया रायपुर में निम्नानुसार संविदा नियुक्ति से पदों की पूर्ति की जानी है :–

1. **सहायक योजनाकार :– 02 पद,**

क्र.	वर्ग	पद संख्या	योग
		मुक्त	
01	अनारक्षित	01	01
02	अनुसूचित जाति	–	–
03	अनुसूचित जनजाति	01	01
04	अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)	–	–
	योग	02	02

2. **सहायक वास्तुकार** :– 01 पद

क्र.	वर्ग	पद संख्या	योग
		मुक्त	
01	अनारक्षित	01	01
02	अनुसूचित जाति	–	–
03	अनुसूचित जनजाति	–	–
04	अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)	–	–
	योग	01	01

सहायक योजनाकार के कार्य – अथॉरिटी की परियोजनाओं/सेक्टर की प्लानिंग, लेआउट, ड्राईंग एवं डिजाईनिंग का कार्य किया जाना।

सहायक वास्तुकार के कार्य – अथॉरिटी की परियोजनाओं/भवनों की प्लानिंग, लेआउट, ड्राईंग एवं डिजाईनिंग का कार्य किया जाना।

1. <u>पद का विवरण, श्रेणी, वेतनमान, शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं :-</u>

सहायक योजनाकार :-

1. सेवा श्रेणी – द्वितीय श्रेणी (संविदा नियुक्ति)
2. निश्चित मासिक संविदा वेतन रूपये 29400/-
3. **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं :-**

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आर्किटेक्टचर में स्नातक तथा क्षेत्रीय योजना की अर्बन प्लानिंग, अर्बन डिजाइन, लैंडस्केप प्लानिंग में स्नातकोत्तर उपाधि।

2. <u>पद का विवरण, श्रेणी, वेतनमान, शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं :-</u>

सहायक वास्तुकार :-

1. सेवा श्रेणी – द्वितीय श्रेणी (संविदा नियुक्ति)
2. निश्चित मासिक संविदा वेतन रूपये 29400/-
3. **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं :-**

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आर्किटेक्टचर में स्नातक उपाधि सहित न्यूनतम दो वर्ष का कार्यानुभव।

2. **निर्धारित आयु सीमा –**

1. सहायक योजनाकार एवं सहायक वास्तुकार पदों के लिए आवेदक **की आयु** दिनांक **01 जनवरी, 2017 को न्यूनतम 21 एवं अधिकतम 30 वर्ष तक होना चाहिए,** किन्तु आयु सीमा **में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा देय समस्त छूट प्रदान की जायगी ।**

(क) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलियर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ख) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम-(4) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा *अधिकतम 10 वर्ष शिथिलनीय होगी।*

(ग) उन अभ्यर्थी के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जावेगी :-

(एक) **ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।** (परंतु यह कि आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त एवं महिला/विधवा/परित्यक्ता वर्ग आदि के आवेदकों को उनके वर्ग को मिलने वाली आयु में छूट यथावत मिलती रहेगी। परंतु यह और भी इस छूट के बाद अधिकतम आयु किसी भी परिस्थितियों में 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।)

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी शासकीय सेवक हो, तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत् आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत् कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी। (परंतु यह कि आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त एवं महिला/विधवा/परित्यक्ता वर्ग आदि के आवेदकों को उनके वर्ग की मिलने वाली आयु में छूट यथावत मिलती रहेगी। परंतु यह और भी इस छूट के बाद अधिकतम आयु किसी भी परिस्थितियों में 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।)

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी, " जो छटनी किये गये शासकीय सेवक" हों, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक सात वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः– शब्द " छटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्ही भी संघटक इकाईयों की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया है।

(घ) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा;

परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो या जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशेन्स) के अधीन मुक्त कर दिया गया है;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें :–
   (क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर ;
   (ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो ;

(3) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कार्मिक ;

(4) उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिसमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमिशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है);

(5) अवकाश पर निरंतर रहने के कारण छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी ;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो ;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है, कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है ;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो ;

(च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन छत्तीसगढ़ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अनुसार पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीरचंद भजदेव सम्मान प्राप्त तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यार्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) ऐसे अभ्यर्थी के संबंध में, जो छत्तीसढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु सीमा तक शिथिलनीय होगी। (परंतु उपरोक्त सभी प्रकार की छूट के सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(झ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के संबंध में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायगी, किंतु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । (परंतु उपरोक्त सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

टिप्पणी :—

(1) उपरोक्त विनियम – 8 (घ) (एक) तथा (दो) में वर्णित आयु संबंधी रियायतों के अधीन जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग पत्र देते हैं, तो नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो पात्र बने रहेंगे।

(ञ) आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश लागू रहेंगे।

(ट) किसी भी अभ्यर्थी को उपरोक्त उल्लेखित किसी एक या अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरांत भी एनआरडीए की सेवा में नियुक्ति हेतु उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3. **पात्रता की शर्तें –**

1. आवेदक को भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों का होना चाहिए।
2. शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को चयन के पश्चात् नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में नियुक्ति आदेश जारी नहीं होगा।
3. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए अपात्र नही होगा।
4. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

4. चयन –

1. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के अनुसार स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्राप्तांको के निम्नानुसार Weighted गुणांक मेरिट सूची (मेरिट लिस्ट) के आधार पर चयन किया जायेगा :–

(अ) सहायक योजनाकार के मूल्यांकन हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नानुसार होगी :–

शैक्षणिक योग्यता	अंक
स्नातक :– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आर्किटेक्टचर में स्नातक।	40
स्नातकोत्तर :– क्षेत्रीय योजना की अर्बन प्लानिंग, अर्बन डिजाइन, लैंडस्केप प्लानिंग में स्नातकोत्तर उपाधि।	60

(ब) सहायक वास्तुकार के मूल्यांकन हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नानुसार होगी :–

शैक्षणिक योग्यता	अंक
स्नातक :– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आर्किटेक्टचर में स्नातक उपाधि।	80
कार्यानुभव :– न्यूनतम दो वर्ष का कार्यानुभव। (संलग्न प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।)	20

2. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठता तय की जावेगी। जिसकी जन्म तिथि पहले होगी उसे प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
3. चयनित अभ्यर्थी को नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी में उपस्थिति के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
4. चयनित उम्मीदवार को पुलिस सत्यापन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा तथा आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी का स्थाई प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. यह संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। अतएव छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 की कंडिका 11(5) के अंतर्गत संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
6. संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एक मुश्त राशि रूपये 29400/– वेतन के रूप में देय होगी इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नही दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नही होगी।
7. अवकाश की पात्रता – संविदा पर नियुक्त कर्मचारी प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिनों के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा, तथा वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिए आनुपातिक आधार पर की जाएगी।
8. यात्रा भत्ता एवं अन्य सुविधायें – (1) विभागीय सेटअप में संविदा पद के रूप में स्वीकृत पद पर नियुक्त व्यक्ति को उस पद के लिये निर्धारित यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी। (2) यदि संविदा नियुक्ति के किसी पद के लिये यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधायें नियमों में विहित नही हैं तो ऐसे पद पर नियुक्त व्यक्ति को उस पद के समकक्ष पद पर नियुक्त शासकीय सेवक के समान यात्रा भत्तें एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी।
9. चयनित उम्मीदवारों की संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जाएगी।
10. प्रतिक्षा सूची (कुल पदों का 30 प्रतिशत) एक वर्ष तक के लिए लागू रहेगी।
11. चयन के लिये राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

(मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अनुमोदित)

महाप्रबंधक (प्रशासन)
नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी
नया रायपुर

Work Experience Verification Letter

To meet the minimum requirements for the given post, you must submit an experience certificate from COA registered Architect/ Architectural firm/ Government/ Semi government organizations showing that you possess the technical experience.

GUIDELINES FOR PRIOR WORK EXPERIENCE

In connection with your application, you must obtain a letter(s) documenting your prior work/industry experience. Each letter submitted is required to have the following:

- Be printed on the letter head of the employer's organization.
- Be hand-signed by the person authorize by the organization to do so.
- Include the full name and employment date.
- Include the job title or titles (classification of position).
- In case of Architectural firm include name, signature, COA registration no., seal and contact information of the authorized signatory with designation.
- In case of Central govt./State govt./PSU include the name, signature, seal and contact information of the authorized signatory.
- May also provide, if required, a detailed description or summary of duties and responsibilities of the position you held.

General Manager (Administration)
Naya Raipur Development Authority
Naya Raipur (C.G.)

आवेदन का प्रारूप

सत्यापित वर्तमान फोटो चिपकाएं

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी,
नया रायपुर (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम – ....

2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) ....

   (अंग्रेजी के केपीटल अक्षर में) ....

3. पिता / पति का नाम ....

4. वर्तमान पता (पत्र व्यवहार हेतु) ....

   ....

   ....

5. मोबाईल नंबर ....

6. ई–मेल ....

7. स्थाई पता ....

   ....

   ....

8. राष्ट्रीयता ....

9. जन्म तिथि (अंको में) ....

   (शब्दों में) ....

10. जाति / संवर्ग ....

11. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :–

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड / वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक / कुल अंक	प्रतिशत

12. कार्य अनुभव का विवरण :–

क्र.	पदनाम	नियुक्तिकर्ता कार्यालय का नाम	अवधि	
			कब से	कब तक

13. क्या आप विवाहित है, यदि हां तो विवाह की तिथि ....

14. जीवित बच्चों की संख्या बालक/बालिका/जन्मतिथि सहित ....

15. विकलांग हां/नहीं (यदि हां तो जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें)

16. क्या आप भूतपूर्व सैनिक है? हां/नही (यदि हों तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

17. संलग्न प्रमाणपत्रों की सूची :–

1.. 2..

3.. 4..

5.. 6..

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत समस्त विवरण एवं संलग्न मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य है। यदि कोई भी जानकारी/अभिलेख असत्य पाई जाती है, तो मेरी उम्मीद्वारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी जिस हेतु मै स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक ....

स्थान ....

आवेदक के हस्ताक्षर